

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—759 / 2012

संस्थित दिनांक—21.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—मिलनसिंह पिता धरमसिंह, उम्र—32 वर्ष,

साकिन डोंगरिया, आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—धरमसिंह पिता दुक्कीलाल, उम्र—70 वर्ष,

साकिन डोंगरिया, आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—15 / 09 / 2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323 / 34, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—05.09.2012 को समय रात के करीब 8:00 बजे स्थान कन्ना के घर के सामने ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान पर फरियादी महेन्द्र मरकाम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में साथ मिलकर फरियादी/आहत महेन्द्र मरकाम को बांस की लाठी व डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—05.09.2012 को समय रात के करीब 8:00 बजे स्थान कन्ना के घर के सामने ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा जिला बालाघाट अन्तर्गत आरोपीगण ने फरियादी महेन्द्र मरकाम को गन्दी—गन्दी गालियाँ दिया और लाठी से बाँये जाँघ और पीठ पर मारे तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध की गई, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक—103 / 2012 अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत महेन्द्र मरकाम का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, घटना में प्रयुक्त संपत्ति को जप्त किया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-05.09.2012 को समय रात के 8:00 बजे कन्ना के घर के सामने ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी महेन्द्र मरकाम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ही उपहति के सामान्य आशय के अग्रसरण में साथ मिलकर फरियादी महेन्द्र मरकाम को बांस की लाठी व डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी महेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत महेन्द्र मरकाम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना करीब एक वर्ष पुरानी सुबह के 8 बजे की बात है। वह अपने खेत तरफ से आ रहा था तो रास्ते में उसे दो लडके मिले तो वह उनसे बात कर रहा था तभी मिलनसिंह आया और मां-बहन की गाली देने लगा और उसके दोनों पैर पकड़ लिया। आरोपी मिलन ने अपने पिता आरोपी धरमसिंह को बुलाया जो हाथ में डंडा लेकर आया और दोनों आरोपीगण ने मिलकर उसे डंडे से बुरी तरह मार। उक्त मारपीट में उसके पूरे शरीर में चोट आयी थी। उक्त घटना में उसे लोगों ने छुड़ाया था। उक्त घटना की थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उससे पूछताछ की थी तथा उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। आरोपीगण के द्वारा घटना के बाद भी उसे लगातार धमकी देते हैं कि थाने से छुट गये हैं, तूने क्या बिगाड़ा। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के

समय वह शराब पिया हुआ था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुरानी रंजीश होने के कारण आरोपीगण विरुद्ध झूठा आरोप लगाया है। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। यद्यपि साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6— जागेन्द्र पटले (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपीगण को तथा आहत महेन्द्र पहचानता है। घटना आज से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— पवनलाल (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है वह आरोपीगण एवं फरियादी को जानता है। घटना आज से लगभग देढ़-दो वर्ष पुरानी है। घटना समय जब वह अपने गांव के कन्ना के साथ पार पर बैठा था तो वहां पर आरोपी मिलनसिंह आया और फरियादी महेन्द्र को देख लेने की बात कह रहा था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछकर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर फरियादी और आरोपीगण के बीच में विवाद हुआ था और आरोपीगण ने फरियादी को गाली-गलौच की थी, किन्तु साक्षी ने आरोपीगण द्वारा फरियादी महेन्द्र को मारपीट करने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से एवं पुलिस द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय आरोपीगण द्वारा कथित गाली-गलौच करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार यह साक्षी अपने कथन में स्थिर नहीं रहा है, जिस कारण उसकी साक्ष्य से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— अनुसंधानकर्ता बनवारी धर्वु (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.09.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-103/12, धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी महेन्द्र, साक्षी जागेन्द्र, पवनलाल, कन्ना उर्फ मंगलू के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-08.09.2012 को उसके द्वारा आरोपी मिलनसिंह से साक्षियों के समक्ष एक बांस का डंडा प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी धरमसिंह से साक्षियों के समक्ष एक बांस की लाठी

जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

9— बचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह तर्क पेश किया गया है कि घटना के समय उपस्थित अन्य साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, इसी कारण फरियादी महेन्द्र की एकमात्र साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में प्रस्तुत फरियादी महेन्द्र (अ.सा.1) की साक्ष्य अखण्डित रही है तथा साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व रंजिश विद्यमान थी, तब भी पूर्व रंजिश का तथ्य दो धारी तलवार की तरह होता है। पूर्व रंजिश के तथ्य से जहां मामला असत्य रूप से तैयार कराने का आशय निकाला जा सकता वहां उक्त तथ्य से मामले में आरोपी के पास अपराध कारित किये जाने का हेतुक भी विद्यमान होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रकार मामले में प्रस्तुत फरियादी की साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से प्रमाणित माना जा सकता है।

10— फरियादी महेन्द्र मरकाम (अ.सा.1) की इस संबंध में अखण्डित रही है कि घटना के समय आरोपीगण ने लोक स्थान में उसे अश्लील गालियों का प्रयोग कर क्षोभ कारित किया और उसके साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत महेन्द्र मरकाम को मारपीट करते समय सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है। यद्यपि साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया हैं कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोक स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी महेन्द्र मरकाम को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में साथ मिलकर फरियादी/आहत महेन्द्र मरकाम को बांस की लाठी व डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महेन्द्र मरकाम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष धारा-294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

12— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

13— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वे प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

14— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले में आरोपीगण और फरियादी के आपसी विवाद को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने आहत महेन्द्र मरकाम को मारपीट कर उपहति पहुंचायी है। यद्यपि मामले में उभयपक्ष के मध्य पुरानी रंजिश होने का तथ्य एवं फरियादी महेन्द्र मरकाम का घटना के समय शराब के नशे में होना का तथ्य भी प्रकट होता है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/- (पाँच सौ रुपये), 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15 दिन एवं 30 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बांस का डंडा एवं बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)